न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज०

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का तिगारिया बनाम किरण W/o केशव अहीर नामनपुरा

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सँख्या :– 34/2017

निर्णय दिनाँक :– 26/10/2017

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम नामनपुरा की आ०ख०न० 161 कुल रकबा 1.57 किस्म जमीन गै०मु० में से 0.01 रकबे पर श्री किरण W/o केशव अहीर ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर नोहरा डालकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का तिगारिया द्वारा दिनाँक .... को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू०अ०निरी० खेड़ादादवाड के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी किरण W/o केशव अहीर निवासी नामनपुरा को भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस नहीं पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ०ख०न० 161 रकबा 1.57 में से 0.01 रकबे किस्म गै०मु०तलाई है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा नौरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 0.06 Paise को 50 गुणा 3/- (Three) रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी तिगारिया भू०अ०निरी० खेड़ादादवाड .... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/10

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज०)